राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	395/2011 **मालीराम बनाम नाथी देवी** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/05/2026 को पेश हो।	
25/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्व. बिरदू व स्व. श्रीमती बिदामी देवी की पुत्रीयां हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उनके लड़के हैं। बिरदू के वारिसान का सजरा खानदान भी पेश किया है। ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 2637, 2638, 2678 ता. 2682 आबादी, 2683 कुआं, 2684 ता. 2687, 2690 ता. 2700, 2702 ता. 2712, 2728 ता. 2730 कुल किता 37 का कुल रकबा 8.78 हैक्टर की हैं। बिरदू माली वादीयागण के पिताजी के मरने के बाद गलती से खातेदारी अकेले माता बिदामी देवी व मालीराम, औंकार भाईयों के नाम ही खोल दी गई जो पूर्णतः गलत है। वादीयागण भी स्व. विरदू माली की लड़कीयां हैं व अपने पिताजी की भूमि में बराबर की हकदार व हिस्सेदार हैं व खेती करती आ रही हैं। वादीयागण की गाताजी का भी 26 मार्च 1996 को देहान्त हो गया जिसका भी अभी तक वादीयागण के नाम से व प्रतिवादीगण। जो वारिसान है खातेदारी नहीं खुली है। वादीयागण ने व औंकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र लेने हेतु पंचायत में भी आवेदन किया है परन्तु ध्यान नहीं दिया है व मना कर दिया है। वादीयागण अपने पिताजी की संपत्ति में जो उपरोक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान की भूमि है जिसमें से 1/6 की 1/2 अर्थात 1/12 हिस्से की खातेदार वादीयागण व शेष 1/12 हिस्से के प्रतिवादीगण 1 व 2 हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से अब तक खातेदारी नामान्तकरण नहीं खुला है तथा पूर्व में बिरदू के मरने पर वादीयागण की हिस्से की भूमि को हड़प करने की नीयत से मालीराम ने गलत खाता खुलवाया है क्योंकि कर्तायती यही रहा है जिसकी 420 भारतीय दण्ड संहिता की कार्यवाही अलग की जावेगी। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शामलाती भूमि को जो अपने पिताजी की है को अविभाजित हिस्से शामलाती को टुकड़ी में विक्रय कर देने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दूसरे दीगर लोगों को कब्जा कराने पर भी आमादा हैं जबकि	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालीराम बनाम नाथी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	395/2011	

वादीयागण की अपने हिस्से की भूमि पर गेहूं की फसल भी है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अलावा तहसीलदार, चौमूं भूमि को खुर्द बुर्द करने पर व रिकार्ड बदलवाकर व उप पंजियक महोदय से विक्रय पत्र तस्दीक करने व करवाने पर प्रतिवादीगण सह हिस्सेदार हैं इस कारण से पक्षकार बनाये गये हैं उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते हैं। वादीयागण को पूर्ण हक अधिकार है कि अपने पिता स्व. श्री बिरदू उर्फ बिरदा माली के नाम ग्राम ईटावा भोपजी में स्थित उरोक्त वर्णित आराजीयात की भूमि में 1/12 वां हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाये तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम 1/12 वां हिस्सा का इन्द्राज दुरूस्ती कर नाम अंकित करवाये व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे वादीयागण के हिस्से में कोई मजाहमत नहीं करें। प्रतिवादीगण ने पहले तो आश्वासन दे रखा था कि वे अपने पिता व माता के नाम से दर्ज भूमि में अपना हिस्सा की खातेदारी दुरूस्ती कर 1/12 वां हिस्सा नाम करवा देगें परन्तु अब 01.11.2004 को मना कर दिया व वादीयागण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है व वादीयागणों के हिस्सों को दीगर लोगों को बेचने की धमकी दी तथा प्लाटों में दीगर, अपरिचितों, बदमाश लोगों को विक्रय कर देने की खुली धमकी दी है। वादीयागण ने काफी समझाया परन्तु नहीं मानते व राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्से को ही बेचने की धमकी लगातार 01.11.2004 से दे रहे हैं एवं बोगस ग्राहक को जमीन को दिखाया जा रहा है जबकि जमीन में मौके पर दोनों वादीयागण ने अपने 1/12 वां हिस्सा की खेती कर रही हैं, पलाव, गेहूँ के लिए कर रखा है तथा बोरिंग में विद्युत कनेक्शन अकाउन्ट नम्बर 2412 वाईन्डर संख्या 1804 खाता संख्या 293 में 10 हार्स पावर का शामलाती खर्च से करवाया हुआ है जिसमें वादीयागण का 1/2 हिस्सा है व चौथे दिन विद्युत चलाकर अपनी भूमि की पिलाई करती रही हैं एवं मौके पर काचिज हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का केवल 1/12 हिस्सा है तथा जो कि नामान्तकरण गलत खुलवाया है जो नामान्तकरण वादीयागण के हक हिस्से के विपरीत प्रारम्भतः ही प्रभाव शुन्य है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वादीयागण को ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला - जयपुर में स्थित मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में पिता बिरदृ के मरने पर खुले 1/6 हिस्से की भूमि में आधे अर्थात कुल का 1/12 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बदामी का नाम हटवाकर 1/12 वां हिस्से में वादीयागण व 1/12 वां हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से इन्द्राज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कर दुरूस्ती की जावे तथा बोरिंग में स्थित विद्युत कनेक्शन में 1/4 हिस्से का वादीयागण को उपयोग उपभोग करने के अधिकार की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वे वादीयागण के नाम घोषित 1/12 वां हिस्से की भूमि व बोरिंग तथा बोरिंग में स्थित 10 हार्स पावर के कृषि विद्युत संबंध खता संख्या 293 वाईन्डर संख्या 1804 के चौथे दिन चलाने व उपयोग उपभोग करने, खेती करने, रहने आदि में किसी भी प्रकार की दखल व मजाहमत, मदाहखलत न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, वर्कमेन के जरिये करवायें तथा शामलाती भूमि को अपरिचित लोगों को टुकड़ो में व अन्य हिस्से का बेचान नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 10 ने अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयागण का कृषि विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 293 वाइन्डर संख्या 1804 में हिस्सा 1/4 होना मात्र अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है सर्वथा मिथ्या एवं काल्पनिक होने से अस्वीकार है। वादीयागण का विवाह स्व. बिरदा व मिन प्रतिवादीगणों ने लगभग 30 वर्षों पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार कर दिया था, तब से वे अपने ससुराल में ही निवास करती आ रही है। जिनके सभी चाल चलावे में हाने वाले खर्चे स्व. बिरदा के फौत के पश्चात मिन प्रतिवादीगण करते आ रहे हैं। ऐसे में वादीयागण उक्त आराजीयात में कब्जा काश्त नहीं होने से कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। उक्त भूमियों में वादीयागण का कब्जा ना तो पूर्व में कभी रहा है, ना ही वर्तमान में है, ना ही उन्होंने कभी लगान सरकारी अदा किया गया है, जबकि मिन प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। वाद पत्र का मद नम्बर 4 जिस प्रकार से लिखा गया है अस्वीकार है एवं स्व. बिदामी देवी की मृत्यु दिनांक भी गलत दर्शित की है, वादीयागण ने प्रतिवादीगण संख्या 2 से सांठ गांठ कर दुरभिसंधि कार रखी है तथा उसे लाभ पहुंचाने की गरज से एवं उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने की गरज से वादीयागण मान्य न्यायालय के समक्ष यह झूठा दावा पेश किया है जो सरसरी तौर पर ही इसी स्टेज पर ख़ारिज किये जाने योग्य है | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की बहस समायत कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 04/08/2011 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालीराम बनाम नाथी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	395/2011	

की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है | जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/08/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर